वित्तीय स्वीकृति

संख्य -38/1618/52-3-14-बजट(07)/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,

अल्पसंख्यक कल्याण,

□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 13 अगस्त, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में नये आलिया स्तर के स्थाई मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में कार्यरते शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मासिक वेतन आदि के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (अ□ □□□□□□)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्य-535/52-3-14-□□□(04)/2014, दिनांक 9.4.2014 के अनुक्रम में तथा वित्त (□□-व्ययक) □□□□-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्य-□□-1-2457/□□-2014-231/2014 दिनांक 22.7.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर-2(10) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नये आलिया स्तर के स्थाई मान्यता अरबी फारसी मदरसों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मासिक वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय 2014-15 □□

http://shasanadesh.up.nic.in

आयोजनागत पक्ष में प्रविधानित धनराशि रू0 60,00,00,000/-(रू0 साठ करोड़ मात्र) के सापेक्ष लेखानुदान के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 20,00,00,000/- को समायोजित करते हुये रू0 40,00,00,000/-(रू0 चालिस करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुये निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय [illegible] विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन [illegible] 15.03.2015 [illegible] उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) [illegible] [illegible] (एलाॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरका /केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी [illegible] स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 [illegible]-व्ययक के अनुदान संख्य -48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्ष -01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय - [illegible]-10-[illegible]

स्तर के स्थाई मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को अ -31-
□□□□□ □□□□-सामान्य (□□□) □□□□□□□□□ □□□□□

3- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-□□-1-2457/□□-2014- 231/2014, दिनांक 22.7.2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

संख्य -1618(1)/52-3-14-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□□, □□□□

4-कोषाधिकारी, □□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी,
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशाल , □0प्र0 □□□□

5-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद 704 □□□□ □□□, □□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभा -1

आज्ञा स,

(vkj0 ,u0 f}osnh)
□□ □□□

http://shasanadesh.up.nic.in